

# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, घाटशिला ।

(आदेश फलक)

एल0 सी0 वाद संख्या-03/2013-14

केश का प्रकार :- भू-हदबंदी

श्री जुगल बेरा, पिता-स्व0 अनन्त बेरा ..... आवेदक

-बनाम-

सत्यवान बेरा, पिता-स्व0 अनन्त बेरा एवं अन्य-01 ..... विपक्षी

क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
8.03.18	<p>यह भू-हदबंदी वाद आवेदक श्री जुगल बेरा, पिता-स्व0 अनन्त बेरा, निवासी ग्राम-कापाड़िया, थाना-बहरागोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा (1) श्री सत्यवान बेरा, पिता-स्व0 अनन्त बेरा, ग्राम-कापाड़िया, थाना-बहरागोड़ा, एवं (2) श्री वाणिपद दास, पिता-स्व0 प्रभाकर दास, ग्राम-कुमारडुबी, थाना-बड़शोल, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को पक्षकर बनाकर भू-हदबंदी अधिनियम की धारा-16(3) के तहत आवेदन पत्र के साथ वकालतनामा, निबंधित केवला दलील संख्या-08/2013, दिनांक-04/01/2013 की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति दलील में वर्णित मूल्य का 10% के साथ कुल-1,10,000.00 (एक लाख दस हजार) रुपये का चालान रसीद संख्या-03, दिनांक-03/04/2013 आदि दाखिल किया गया हैं। आवेदक द्वारा दायर आवेदन पत्र की प्रविष्टि की स्वीकृति प्रदान करते हुए उभय पक्ष को सूचना जारी किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध हैं।</p> <p>प्रश्नगत भू-खण्ड मौजा-ईचड़ाशोल, थाना नं0-919, खाता नं0-33, प्लॉट नं0-74, रकवा-09 डीसमल जमीन से संबंधित हैं।</p> <p>आवेदक ने अपने आवेदन पत्र द्वारा बताया गया है कि प्रतिवादी नं0-1 ने प्रतिवादी नं0-2 को खतियानी रैयत के संयुक्त जमीन जिसका रकवा-09 डीसमल हैं को बिक्री केवाला दलील संख्या-08/2013, दिनांक-04/01/2013 द्वारा बिक्री किया गया हैं। प्रश्नगत भूमि को खरीदने का सबसे पहला हक/अधिकार आवेदक का होता है क्योंकि आवेदक उक्त भूमि का संयुक्त</p>	

*M*

रैयतदार हैं। परन्तु प्रतिवादी नं-1, प्रतिवादी नं-2 को जमीन बेचने संबंधी जानकारी आवेदक को नहीं दिया गया। बिहार भू हदबंदी अधिनियम की धारा-16(3) के तहत द्वितीय पक्ष के बिक्री दलील को रद्द करते हुए न्यायालय आवेदक को अपने नाम से दलील निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आवेदक के आवेदन के आलोक में उभय पक्षों को सूचना निर्गत किया गया। सूचना प्राप्ति के बाद उभय पक्षों की ओर से न्यायालय में अपने-अपने उपस्थिति दर्ज किये। द्वितीय पक्ष की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया। आवेदक पिछली तिथियों से लगातार अनुपस्थित रहे हैं, इसलिए एक पक्षीय सुनवाई का आदेश दिया गया।

द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कारण-पृच्छा तथा बहस के दौरान द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार उनके पक्ष में निम्नांकित बिन्दुओं पर अपना पक्ष रखा:-

यह विवाद भू-हदबंदी धारा-16(3) के अनुसार आवेदक का आवेदन सही नहीं है। आवेदक एवं द्वितीय पक्ष श्री सत्यावन बेरा एवं अन्य के बीच पूर्वजों का सम्पत्ति आपसी बॉटवारा के माध्यम से अपना-अपना हिस्सा दखल करते हैं एवं उसी के आधार पर प्रथम तथा द्वितीय पक्ष के सत्यावन बेरा ने दुसरे को ही जमीन बेचते आ रहे हैं, इसमें किसी का कोई आपत्ति नहीं थी। प्रावधानानुसार विवादित भूमि कुल- 09 डिसमल काफी छोटा हिस्सा है जो कि वस्तु/बाड़ी के लिए द्वितीय पक्ष श्री वाणिपद दास पिता-स्व0 प्रभाकर दास द्वारा खरीदा गया है, जबकि प्रावधानानुसार भू-हदबंदी की धारा-16(3) कृषि भूमि पर ही लागु होता है। (para-13, 14, 15, C.W.J.C. No732,733, 735 and 742 of 1993 Chatur sah and another -VRS- Chandra Bhushan Maharaj and others) में उल्लेख है।

सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य तालिका-2016 (Census town) के अनुसार मौजा-ईचड़ाशोल थाना नं0-919 शहर अंचल के हिसाब से ही अन्तरभूत किया गया, जबकि विवादित जमीन इसी श्रेणी में आता है। वाद की भूमि से संबंधित स्पष्ट जानकारी के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत गवाहों यथा श्री कुमेद





चन्द्र बेरा एवं श्री अम्बिका बारिक का परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण भी किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वास योग्य है एवं इससे सटा हुआ जमीन पर दूसरों का घर अवस्थित है। जिनके नाम भी गवाहों द्वारा उल्लेख किया गया है। उपरोक्त गवाहों का बयान भी आवेदक के पक्ष में नहीं जाता है। इस वाद के साथ एक ही आवेदक द्वारा दूसरों विपक्षियों के विरुद्ध भू-हदबंदी संख्या-01/2013-14 एवं 02/2013-14 एक ही साथ में वाद दायार किया गया है। भूमि का स्वरूप तीनों वादों में एक जैसा होने के कारण गवाहों का बयान भू-हदबंदी संख्या- 01/2013-14 में ही लिया गया है तथा सभी वादों में गवाहों का बयान समझा जायेगा। तीनों वादों में एक ही आवेदक होने के नाते दोनों गवाहों का बयान भू-हदबंदी वाद संख्या-01/2013-14 एवं 02/2013-14 तथा इस वाद के साथ भी लागु होगा।

अतः प्रथम पक्ष के लगातार अनुपस्थिति एवं पक्ष रखने का मौका देने के उपरांत उपस्थित द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आवेदक के आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। तदनुसार न्यायालय इस निर्णय पर पहुँचता है कि भू-हदबंदी अधिनियम की धारा-16(3) के तहत आवेदक के द्वारा दायर आवेदन पत्र को खरीज किया जाता है तथा वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

यदि पारित आदेश के विरुद्ध किसी को अपात्ति हो तो वे सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता  
घाटशिला।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता  
घाटशिला।

c.c. of 1st & last order is issued.

c.c. of 1st & last order is issued.

23/11/18

24/11/18